

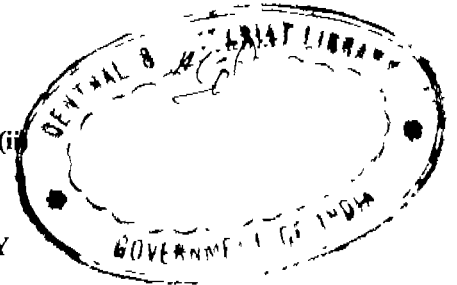
भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 416]
No. 416]

नई दिल्ली, बुध्स्पतिवार, जून 21, 2001/ज्येष्ठ 31, 1923
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 21, 2001/JYAISTHA 31, 1923

जल-भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2001

का. आ. 580(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. 1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्यांक 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक, संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

सारणी

1	2	3
"14.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 [0.0 कि. मी. से 136.000 कि.मी. तक (कोलकाता से खड़गपुर) को छोड़कर], सं. 31 [447 कि.मी. से 470 कि.मी. और 476.150 कि. मी. से 500 कि.मी. तक, (दालखोला से इसलामपुर उप खंड 1 और 2) को छोड़कर], सं. 31ग, सं. 32, सं. 60 (इसमें खड़गपुर से आसनसोल तक का भाग सम्मिलित है) और सं. 81 का वह भाग जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 34, सं. 35 और सं. 55	पश्चिम बंगाल राज्य सरकार"।

[सं. रा. मा.-14019/8/2001-पी. एंड एम.]

एस.सी. शर्मा, महानिदेशक (जल-भूतल विकास) और अपर सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र में का. नि. आ. 1181 तारीख 4-4-1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. का. आ. 195(अ) तारीख 6-3-2000 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2001

S.O. 580(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the

then Ministry of Transport, number S.R.O. 1181 dated the 4th April, 1957, namely :—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 14 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

TABLE

1	2	3
14	So much of National Highways, No. 6 [excluding from Km. 0.0 to Km. 136.000 (from Kolkata to Kharagpur)], No. 31 [(excluding from Km. 447 to Km. 470 and Km. 476.150 to Km. 500 Dalkhola to Islamapore sub-sections 1 and 2)], No. 31C, No. 32, No. 60, (including portion from Kharagur to Asansol) and No. 81 as are situated within the State of West Bengal and National Highway No. 34, No. 35, and No. 55	State of Government West Bengal

[No NH-14019/8/2001-P&M]

S. C. SHARMA, Director General (Road Development) and Addl. Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India *vide* No. S.R.O. 1181 dated 4th April 1957 and last amended *vide* notification S.O. 195 (E) dated 6th March, 2000.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2001

का. आ. 581 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को, सौंपती है।

सारणी

क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यांक	खंड, किलोमीटर में
(1)	(2)	(3)
1.	रा.मा. 41, जो एक ओर से हल्दिया पत्तन और दूसरी ओर से रा.मा. 6 पर कोलाघाट को जोड़ता है।	52.7 कि.मी.

[फा. सं. रा.मा.-14019/8/2001-पी. एण्ड एम.]

एस. सी. शर्मा, महानिदेशक (जल-भूतल विकास) और अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2001

S.O. 581 (E).—In exercise of powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts stretches as specified in column (3) of the table given below, of the National Highway as specified in column (2) of the said Table, to the National Highways Authority of India.

TABLE

Sl. No.	National Highway Number	Stretch in kilometer
(1)	(2)	(3)
1.	NH-41 connecting Haldia Port on one end and Kolaghat on NH-6 on other end.	Km. 52.7

[F. No. NH-14019/8/2001-P&M]

S. C. SHARMA, Director General (Road Development) and Addl. Secy.